# न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
## पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 04 / 2021 तारीख रजू 12.01.2021

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पश्चिम मध्य रेलवे कोटा।

.....आवेदक

**बनाम**

1. दिलखुश मीणा पुत्र प्यारेलाल मीणा वेण्डर ऑफ मेघना राजेन्द्र कुमार मंगला जीएमयू (Women) मोडूलर केटरिंग स्टॉल आर–1 पीएफ–1 सवाई माधोपुर जंक्शन।
2. मेघना राजेन्द्र कुंमार मंगला जीएमयू Women) मोडूलर केटरिंग स्टॉल आर–1 पीएफ–1 सवाई माधोपुर जंक्शन।
3. Shiv Heaith Food, LLP Works at Plot No. E-164 to 167 to 183 Rllco Agro Food Park Phase-II, Villa Ranpur Jhalawad Road Kota
4. द्वारकालाल नागर नोमिनी Shiv Heaith Food, LLP Works at Plot No. E-164 to 167 to 183 Rllco Agro Food Park Phase-II, Villa Ranpur Jhalawad Road Kota

.....अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 30.09.2021

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पश्चिम मध्य रेलवे कोटा द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री ओमप्रकाश राठौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी पश्चिम मध्य रेलवे कोटा (आवेदक) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम ,2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 07.12.2019 को समय 10.45 ए.एम.पर मेघना राजेन्द्र कुमार मंगला जीएमयू (Women) मोडूलर केटरिंग स्टॉल आर–1 पीएफ–1 सवाई माधोपुर जंक्शन का निरीक्षण

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 13:15:36 IST
Reason: SelfAttested

किया जहॉ पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री दिलखुश मीणा खाद्य पदार्थ कोटा प्रेश दही की बिक्री कर रहे थे उनको आवेदक ने अपना परिचय दिया। यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय के लिए खाद्य पदार्थ कोटो प्रेश दही में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से लगभग 200–200 ग्राम क्षमता के कुल 4 कम शील्डशुदा पेकेट वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा जिसकी कीमत 100/– रूपये विक्रेता को नकद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर संख्या 5–ए की प्रतियॉ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहन को पढकर सुनाकर एवं समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5–ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की गयी।

यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ कोटा प्रेश दही मात्रा 800 ग्रम को 4 बराबर–बराबर भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग में 200–200 ग्राम के शील्ड कम को खोलकर स्ट्रेलाईज्ड पीवीसी की 4 बोतलो में भरकर प्रत्येक बोटल में प्रजरवेटिव फोरमेलिन 16–16 बूंद प्रत्येक पार्ट में डाली गयी। इसके बाद दही को होमोजिनाईज्ड किया गया एवं ढक्कन लगाकर पैक किया गया। इसके पश्चात नमूने का लेवल तैयार कर लेवल पर मेरे द्वारा एवं खाद्य कारोबारकर्ता श्री दिलखुश मीणा एवं गवाह श्री लक्ष्मण एवं मुकेश गुर्जर ने हस्ताक्षर किये। अभीहित अधिकारी पश्चिम मध्य रेलेवे जबलपुर के कोड एवं कमांक डब्ल्यूसीआर/915–610 दर्ज किया। इसके पश्चात लेबल को प्रत्येक बोटल पर चिपकाया गया। प्रत्येक नमूना भाग को खाखी पेपर स्लिप जिसका कोड एवं स्लिप नम्बर डब्ल्यूसीआर नम्बर/915–610 नीचे से उपर तक प्रत्येक पार्ट पर गोंद से चिकायी तथा प्रत्येक पार्ट को धागे से बांधकर नियमानुसार चार सील चपडी की, प्रत्येक पार्ट के उपर–नीचे–दायें–बायें लगायी गयी। प्रत्येक पार्ट पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप एवं रेपर दोनों पर आए तथा आवेदक ने प्रत्येक पार्ट पर हस्ताक्षर किये।

यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय पहूॅचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियॉ तैयार की और प्रतयके पर वह नमूना सील लगायी जिससे नमूना सील किया हे। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर खद्य विश्लेषक जयपुर को जमाकर फार्म नम्बर 6 की रसीद प्राप्त की। शेष 3 सील बंद नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की 3 प्रतियॉ के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभीहित अधिकारी पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभीहित अधिकारी पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के पत्र कमांक पमरे/एचक्यू/एच/ 0602/एफएसएसए/दिनांक 27.12.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉ रिपोर्ट संख्या एलएस/3069/एक्ट/2019/2608 दिनांक 20.12.2019 के अनुसार कोटा प्रेश दही खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टेण्डर्ड फूड होना पाया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 13:15:36 IST
Reason: SelfAttested

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा घी खुला हुआ सब स्टेण्डर्ड प्रकृति खाद्य पदार्थ का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है खाद्य कारोबारकर्ता का एक सेम्पल दही का लिया गया था जिसका निर्माता विपक्षी संख्या 3 व 4 निर्माता कम्पनी व नोमिनी है एवं विपक्षी नम्बर 2 लोईसेंसी है उक्त खाद्य सामग्री में कोटा फेश दही, के सेम्पल की रिपोर्ट फेल हो जाने की आयी उक्त कृत्य ने खाद्य कारोबार कर्ता एवं साईसेंसी का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। उक्त कृत्य के लिए निर्माता कम्पनी व नोमिनी विपक्षी संख्या 3 व 4 उत्तरदायी है। यह है कि विपक्षी संख्या 1 से लिए गये सेम्पल में नियमों की पूर्ति किये बिना लिये गये है सेम्पल फेल हो जाने के लिए विपक्षी नम्बर 1 उत्तरदायी नहीं है। सम्पूर्ण कार्यवाही महज रिकोर्ड की पूर्ति करने एवं मुकदमों की तादाद बढाने के लिए कार्यवाही की गयी है। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में कोई सच्चाई नहीं है। अन्त मे वकील अभियुक्तगण द्वारा समस्त अभियुक्तगण के लिखाफ कार्यवाही ड्रॉप किये जाने व बरी करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/3069/एक्ट/2019/2608/दिनांक 20.12.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच एवं विक्रय/निमार्ण किया गया खाद्य पदार्थ कोटा प्रेश दही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अनुसार सब स्टेण्डर्ड पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उलघंन किया है जो कि धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है। चुकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 13:15:36 IST
Reason: SelfAttested

अतः अभियुक्त को सब स्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के खाद्य पदार्थ कोटा प्रेश दही का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 5000/– रूपये (अक्षरेः पॉच हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 13:15:36 IST
Reason: SelfAttested